विभाग का नाम :— **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :— पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :— **20**

दिनांक :— 08/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :— **श्री पवन कुमार शर्मा**

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;	शिक्षा निदेशलय में पी.ई.टी. के कुल 2229 पद स्वीकृत हैं ।
(ख) इनमें से कितने पद रिक्त हैं और कब से;	पी.ई.टी. के रिक्त पदों की संख्या 1359 है, जो पिछले तीन वर्षों से रिक्त है ।
(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;	शिक्षा निदेशलय द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को इन पदों को भरने के लिये समय समय पर पत्र लिखे गये हैं । दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 30/04/2017 को 445 पदों को भरने के लिये परीक्षा आयोजित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 919 पदों को भरने के लिये मांग पत्र भेजा जा चुका है ।
(घ) ये सभी रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;	प्रकिया जारी है ।
ड) क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्यों की पदोन्नति के कई मामले काफी लम्बे समय से लटके हुए हैं; और	जी हॉ ।
(च) यदि हॉ, तो ये पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी?	प्रधानाचार्य :— यू.पी.एस.सी. ने पदोन्नति के लिये पहले वर्तमान भर्ती नियमों के संशेधन के निर्देश दिये हैं । जिसके उपरांत ही पदोन्नति के मामलों पर विचार किया जायेगा । संशेधित भर्ती नियम विभाग की वेबसाइट पर डाले गये और संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों से विचार मांगे गये । उपप्रधानाचार्य :— सरकार के अनुमोदन के उपरांत भर्ती नियमों में संशेधन का मामला यू.पी.एस.सी. में विचाराधीन है । तथापि उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।